न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

(1) प्रकरण संख्या –66 / 2019 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2019 / 00209

रोमन केथोलिक चर्च सेन्ट माईकल्स चर्च, जरिये सचिव, कोसमस शेखावत आत्मज रफेल शेखावत, बिसप हाउस, केसरगंज अजमेर (राज0)
––प्रार्थी.

बनाम

1. अन्नू पत्नी बशीर जाति ईसाई निवासी सलावदखुर्द, रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. बशीर पुत्र जेम्स जाति ईसाई निवासी सलावदखुर्द रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज0
––अप्रार्थी.

जिला कलेक्टर कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 23 द राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरण्ल होल्डिंग एक्ट 1973 राजस्थन भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित–
1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट

(2) प्रकरण संख्या –169 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00318

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

1. अन्नू पत्नी बशीर जाति ईसाई निवासी सलावदखुर्द, रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. बशीर पुत्र जेम्स जाति ईसाई निवासी सलावदखुर्द रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार

उपरोक्त दोनों प्रकरण संख्या 66 / 2019, एवं 169 / 2016 ग्राम डींगसी के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.22 हे0 भूमि अप्रार्थी के आवंटन को निरस्त कराने के सम्बन्ध में होने से दोनों प्रकरणों को कन्सोलिडेट किया जाकर एक साथ ही बहस सुनी जाकर एक साथ ही निर्णय किया जा रहा है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

निर्णय

दिनांकः— 10/12/2024

1 प्रकरण संख्या 66/2019 के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग कोटा द्वारा सीलिंग प्रकरण में निर्णय दिनांक 21.12.1990, 30.8.2020 एवं 25.10.12 से ग्राम सलावदखुर्द में 73.50 स्टेण्डर्ड एकड बदर खान में 57.06 स्टे0 एकड तथा सुकेत में 1.54 स्टे0 एकड ज्यादा भूमि सरप्लस घोषित कर दी जिसकी अपील वर्तमान में नये सीलिंग एक्ट की धारा 23 के तहत न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है, जिसमें दिनांक 15.5.2013 से स्थगन आदेश हो रहा है तथा वर्तमान में अपील जैरकार है । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने चर्च की भूमि एक साथ एक ही निर्णय से 10 पृथक पृथक व्यक्तियों को दिनांक 21.12.2010 को आवंटित कर दी जिसमें अप्रार्थीगण को ग्राम डींगसी के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.22 हे0 आवंटित कर दी गई । उक्त आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2010 की अप्रसन्नता में अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 23 द राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट 1973 के तहत अप्रार्थी के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है ।

2. प्रकरण संख्या 169/2016 प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा इस आशय के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) प्रस्तुत किया है कि आवंटी अप्रार्थीगण को ग्राम डींगसी के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.22 हे0 भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है ।

3. प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में प्रतिपक्षी एक ही है । प्रतिपक्षी की तलबी की गई । नोटिस जारी होने उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर दौनों प्रकरणों का गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट का अपनी बहस में कथन है कि ग्राम सलावदखुर्द में 527 बीघा एवं ग्राम बदरखान में 417 बीघा 10 बिस्वा एवं ग्राम सुकेत में 10 बीघा कुल तीनों गांव जो तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के अन्तर्गत आते है में भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट कैथोलिक मिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उक्त सम्पूर्ण भूमि के उपर राज्य सरकार के द्वारा सीलिंग का प्रकरण दिनांक 22.3.1972 को दर्ज किया । उक्त सीलिंग प्रकरण की अपीले हुयी तथा वर्तमान में सम्पूर्ण कृषि आराजी के सम्बन्ध में रोमन कैथोलिक चर्च जरिये मैनेजर बनाम सरकार राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष सीलिंग प्रकरण 3062/ 2013 पर दर्ज है, उक्त प्रकरण में दिनांक 15.5.2013 को राजस्व मण्डल अजमेर की एकल पीठ द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की आज की स्थिति को मण्डल के आगामी पैशी तक कायम रखा जावें । उक्त स्थगन आदेश एवं अपील अभी तक राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है । उपरोक्त आवंटन के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी के माध्यम से जिला कलक्टर कोटा के समक्ष भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही कर रखी है तथा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाहियां अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट के विरूद्व कर रखी है अर्थात जो आवंटन राज्य सरकार द्वारा रेस्पोडेन्टस को किया था राज्य सरकार उस आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा की गई है । उपरोक्त सम्पूर्ण आवंटन चर्च की भूमि पर हुआ है तथा आवंटियों का उक्त भूमियों पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा भी नहीं है । सम्पूर्ण कृषि आराजी पर चर्च का ही कब्जा है तथा चर्च के द्वारा वहां पर स्कूल, पूजा स्थल, खैल मैदान के निमार्ण के अलावा कृषि कार्य भी निर्वाध रूप से किया जा रहा है । इस कारण से धारा 23 द राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट 1973 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के कारण भी आवंटियों का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । अधिनियम की धारा 17(3) एवं धारा 18 के अनुसार सरप्लस अधिगृहण की गयी भूमियों के सम्बन्ध में है तथा उनके ऑपरेशन के सम्बन्ध में है, इस कारण से भी उक्त भूमि का आवंटन

जिला कलेक्टर
कोटा

किसी अन्य को नहीं किया जा सकता था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा भी अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीया का कब्जा काश्त नहीं है, अतः किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

6. हमने अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य तर्क है कि अप्रार्थीगण को ग्राम डींगसी के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.22 हे0 की गई आवंटित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा द्वारा अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध अपील प्रकरण संख्या 3062/13 कैथोलिक चर्च जरिये मैनेजर बनाम सरकार अपीलांट चर्च द्वारा प्रस्तुत की हुई है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा के निर्णय दिनांक 25.10.2012 में अंकित आराजी के सम्बन्ध में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश किये हुए है । जिसकी पुष्टि में वकील अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 15.5.2013 की प्रति प्रस्तुत की गई जिससे स्थगन की पुष्टि होती है किन्तु हमने अप्रार्थी के हक में किये गये आवंटन का अवलोकन करने से जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीया के हक में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया भूमि आवंटन दिनांक 12.12.2010 को आवंटन किया जाना जाहिर आया है, जिससे उक्त आवंटन में स्थगन की कोई बाध्यता तत्समय नहीं थी । आवंटन के वक्त स्थगन नहीं होने से कमेटी द्वारा किया गया आवंटन उचित है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त स्थगन आदेश दिनांक 15.5.2013 निरस्त नहीं होना वकील अपीलांट द्वारा बताया गया है तथा वादग्रस्त भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है तथा अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, अन्तिम निर्णय पारित नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना अथवा उक्त आवंटन के सम्बन्ध में कोई भी आदेश जारी करना उचित नहीं होगा । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना उचित नहीं होने से प्रस्तुत अपील एवं तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग अपील प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने एवं वादग्रस्त भूमि के यथास्थिति के आदेश होने से अप्रार्थीया के हक में ग्राम डींगसी के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.22 हे0 का किया गया आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं पाते है । अतः प्रस्तुत अपील एवं तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णय उपरान्त निर्णय के अनुरूप तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा